

## कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।  
प्रार्थी सर्वश्री रोबो स्पीशीज टेक्नोलाजीस प्रा0 लि0, ए-90, लोवर ग्राउन्ड फ्लोर, सेक्टर-  
4, नोएडा ।  
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक 033 / 13, 23.07.2013  
प्रार्थी की ओर से श्री नरेन्द्र शर्मा, विद्वान अधिवक्ता ।

### उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री रोबो स्पीशीज टेक्नोलाजीस प्रा0 लि0, ए-90, लोवर ग्राउन्ड फ्लोर, सेक्टर-4, नोएडा द्वारा दिनांक 23.07.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें निम्न वस्तुओं पर करदेयता पूछी गयी है :-

1. book which contains instructions and text book on Robotics
2. Printed Circuit Boards
3. Switches, connectors, Relays, electronic fuses
4. Electronic Integrated Circuits and Micro-assemblies
5. D C Micro motors, Stepper Motors

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता-श्री नरेन्द्र शर्मा के साथ उपस्थित हुए । प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया है कि प्रार्थी का व्यापार, Robotics के संचालन के लिए panels, boards, circuits and equipments तथा instructions and text book on Robotics के उपलब्ध कराने का है । प्रार्थी द्वारा प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड पर, Components यथा-resistors, capacitor's diodes, LED's transistor's integrated Circuits (IC's) Buttons, Small LCD's आदि assembled करते हुए निर्मित वस्तु का सैम्पुल प्रस्तुत किया गया, जिसको Printed Circuit Boards मानकर, वस्तुओं पर करदेयता की स्थिति स्पष्ट करते हुए, प्रार्थना-पत्र निस्तारित करने का अनुरोध किया गया ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गौतम बुद्ध नगर जोन, नोएडा के पत्र संख्या-862, दिनांक 17.08.2013 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि किसी विद्युत उपस्कर के कार्य में उसके विद्युत परिपथ (electric circuit) का महत्वपूर्ण योगदान होता है । नवीन विद्युत उपस्करों में विद्युत परिपथ अत्यन्त पेचीदा (complex) होने के कारण उसे छोटा व आराम से प्रयोग होने वाला बनाने के लिए प्लास्टिक के बोर्ड पर कन्डक्टर सामग्री से प्रिन्ट कर बनाया जाता है । यह आवश्यक नहीं है कि प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड माक्रोचिप के होने पर ही काम करे । किन्तु रजिस्टर, माइक्रो चिप इत्यादि प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड का हिस्सा हो सकते हैं । प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड का प्रयोग विभिन्न विद्युत के विद्युत परिपथ को परिभाषित करना होता है किन्तु स्वयं में प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड मृतप्राय उपस्कर है एवं उसके एक सम्पूर्ण या अंशतः किसी कार्य सक्षम उपस्कर का भाग बन जाने पर उसको प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता । प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड के

**सर्वश्री रोबो स्पीशीज टेक्नोलाजीस प्रा0 लि0 / प्रा0 पत्र सं0-033 / 13 / धारा-59 / पृष्ठ-2**

विद्युत संयोजन व बैटरी से संयोजित होने पर यदि वह उस कार्य का निष्पादन कर सकता है जिसके लिए उस प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड को तैयार किया है तो वह स्वयं में पूर्ण विद्युत उपस्कर है एवं पृथक से प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड में परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के परिपथ को प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड में भी परिभाषित किया जा सकता है जब वह स्वतन्त्र रूप से किसी पृथक मशीन के रूप में स्थापित न हो सकता हो। दो या अधिक प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड को एक साथ जोड़ देने के बाद चाहे, यह उनमें बने गूवस् (grooves) में फँसाकर किया जाए या तारों के माध्यम से यह एक अन्य उपस्कर का भाग बन जायेंगे किन्तु प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड की परिभाषा से बाहर हो जायेंगे। किसी स्वतन्त्र वस्तु के उसके साथ जुड़ने, यदि वह वस्तु स्थायी रूप से उसके साथ सोल्डर कर जोड़ न दी गई हो, यह प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड नहीं रह जायेगा। उदाहरणार्थ-मदर-बोर्ड के प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड पर मैमोरी चिप व प्रोसेसर चिप के जोड़े जाने पर वह एक भिन्न वस्तु कम्प्यूटर का भाग बन जायेगा क्योंकि यह दोनों वस्तुएं अन्यथा स्वतन्त्र रूप से प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड पर लगाई गई हैं। यह भी कहा गया कि जब तक Printed circuit board; Switches, Connectors, Relays, electronic fuse; Electronic Integrated circuits and Micro-assemblies एवं D C Micro motors, Stepper Motors, पृथक-पृथक विक्रय किया जा रहा है वह उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के परिशिष्ट-II के भाग-B के क्रम संख्या-13, 14, 17 एवं 24 का क्रमशः करयोग्य है किन्तु यदि इनमें किन्हीं दो या दो से अधिक का संयोजन कर किसी युग्म का विक्रय किया जाता है तो वह उस विद्युत उपस्कर अन्य वस्तु का भाग होगा। जो उसके अन्तिम निर्माण से उत्पन्न हो तथा तदनुसार उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के परिशिष्टों में करयोग्य होगी। यदि उसका उल्लेख किसी अन्तिम वस्तु के भाग के रूप में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के किसी परिशिष्ट में नहीं है तो उस पर 12.5% कर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के परिशिष्ट-5 के अन्तर्गत लागू होगा। जहाँ तक “ book which contains instructions and text book on robotics, ” का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि वे books and periodicals and journals की परिभाषा में नहीं आयेंगे। ऐसी दशा में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के परिशिष्ट-I के अन्तर्गत तभी करमुक्त होंगी जब वे किसी Educational Board or Council Syllabus में निर्धारित की गयी हो।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि है (i) उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-07 पर-Books and periodicals & journals including Braille books; maps; chart & globe; Workbooks bearing the name of the author thereon or prescribed in the syllabus of any Educational Board or Council; की प्रविष्टि दी गयी है। प्रार्थी द्वारा जिस बुक्स के सम्बन्ध में करदेयता पूछी गयी है, वह भी workbooks नहीं है। author का नाम होना या Educational Board या Council Syllabus में निर्धारित होने की शर्त केवल workbooks के लिये है। सामान्य Books के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। प्रार्थी द्वारा Books पर करदेयता पूछी गयी है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-07 पर उल्लिखित बुक्स की श्रेणी में आना चाहिए।

(ii) (क) प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड स्वयं में कोई डिवाइस नहीं है, यह मृतप्राय उपस्कर है, यदि इस पर किसी सिस्टम की आवश्यकतानुसार Components यथा-resistors, capacitor's diodes, LED's transistor's

सर्वश्री रोबो स्पीशीज टेक्नोलाजीस प्रा0 लि0 / प्रा0 पत्र सं0-033 / 13 / धारा-59 / पृष्ठ-3

integrated Circuits (IC's) Buttons, Small LCD's, आदि संयोजित करते हुए, उस सिस्टम के कार्य संचालन के लिए डिवाइस तैयार की जाती है, तो वह उसका भाग होती है और प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड से भिन्न वस्तु निर्मित हो जाती है। ऐसी भिन्न वस्तु पर, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की किसी अनुसूची-V के अन्तर्गत, अवर्गीकृत वस्तु की भाँति, 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

(ii) (ख) प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड, जिसके ऊपर कोई Components संयोजित नहीं है, केवल प्लेन प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड है, पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ख की प्रविष्टि संख्या-13 के अनुसार, 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

(iii) Switches, connectors, Relays, electronic fuses, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ख की प्रविष्टि संख्या-14 में उल्लिखित-Switches, connectors, Relays, electronic fuses., की प्रविष्टि है, तदनुसार इन पर, 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

(iv) Electronic Integrated Circuits and Micro-assemblies, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ख की प्रविष्टि संख्या-17 में उल्लिखित-Electronic Integrated Circuits and Micro-assemblies., की प्रविष्टि है, तदनुसार इन पर, 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

(v) D C Micro motors, Stepper Motors, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ख की प्रविष्टि संख्या-24 में उल्लिखित- D C Micro motors, Stepper Motors., की प्रविष्टि है, तदनुसार इन पर, 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गौतम बुद्ध नगर जोन, नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या, विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया एवं प्रस्तुत सैम्पुल का अवलोकन किया गया। पाया गया कि प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड का डिवाइस के रूप में स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। यह एक मृतप्राय उपस्कर है, किसी सिस्टम की आवश्यकतानुसार, इस पर Components यथा-resistors, capacitor's diodes, LED's transistor's integrated Circuits (IC's) Buttons, Small LCD's, आदि का संयोजन करते हुए तैयार डिवाइस, उस सिस्टम की कार्य क्षमता के लिए, उसका भाग बन जाती है और वह प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड से भिन्न वस्तु हो जाती है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ख की प्रविष्टि संख्या-13 में केवल प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड पर, 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता प्राविधानित है। अतः प्रार्थी द्वारा पूछी गयी वस्तुओं की करदेयता की स्थिति निम्नवत होगी :-

1	book which contains instructions and text book on Robotics	उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-07 पर उल्लिखित बुक्स की श्रेणी में आयेगी।
---	--	--

सर्वश्री रोबो स्पीशीज टेक्नोलाजीस प्रा0 लि0 / प्रा0 पत्र सं0-033 / 13 / धारा-59 / पृष्ठ-4

2	Printed Circuit Boards	(ii) (क) प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड पर, Components यथा-resistors, capacitor's diodes, LED's transistor's integrated Circuits (IC's) Buttons, Small LCD's आदि, से निर्मित वस्तु पर, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अनुसार, अवर्गीकृत वस्तु की भाँति, 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी । (ii) (ख) प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड, , जिसके ऊपर कोई Components संयोजित नहीं है, केवल प्लेन प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड है, पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ख की प्रविष्टि संख्या-13 के अनुसार, 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी ।
3	Switches, connectors, Relays, electronic fuses	उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ख की प्रविष्टि संख्या-14 के अनुसार 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी ।
4	Electronic Integrated Circuits and Micro-assemblies	उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ख की प्रविष्टि संख्या-17 के अनुसार 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी ।
5		उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ख की प्रविष्टि संख्या-24 के अनुसार 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाये ।

दिनांक 12 सितम्बर, 2013

ह0 / 12.09.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)  
कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।